तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30/7/21	पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलातो, व जरिये पैरोकार का अवलोकन अवलोकन करते व पक्षकार वादी ने अपनी बहस में प्रा०पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया जाकर प्रा०पत्र स्वीकार किया जावे। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे प्रस्ताव प्रा०पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया है। उभय पक्षो के पक्षकारो की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम अकबरपुर तहसील अलवर की जमाबन्दी आधार वर्ष व राजस्व नक्शा सम्वत् 1922, सम्वत् 2020-2033 व वर्तमान नक्शा में वादी की विवादित आराजी का खातेदार दर्ज है परन्तु आराजी का सम्वत् सन् 1922 मे बनी मशावी व नक्शा ट्रेस सं. 2020 के मुताबिक सही दर्शाया गया है परन्तु सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा सम्वत् 2051 में बनाया गया नक्शा मौके की स्थिति में विपरीत डॉट-डॉट अंकित कर दिया गया है जिस पर 50 वर्ष पूर्व की पक्की बाउण्डी हो रही जो मौके पर आज भी बनी हुई है तहसीलदार अलवर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया मुताबिक हाल नक्शा ख०नं० 545, 537, 539 के चारो ओर मौके पर काफी पुरानी पक्की दीवार निर्मित है जिस पर वादीगण का कब्जा होना जाहिर आया है।

वादीगण का प्रथम दृष्टया केस साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में तय किया जाकर प्रा०पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे की आराजी ख०नं० हाल $\frac{538}{0.02}$, $\frac{539}{0.15}$ वाके ग्राम अकबरपुर तहसील अलवर पर निर्मित बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त न करे व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति दौराने वाद कायम रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर पत्रावली नियम से कार्य हो कर मुकदमा मे सामिल हो।